वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, राष्टीय सहारा, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 26.07.2024

वीडीए ने 9 बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

सील तोड़कर सूर्याश हॉस्पिटल में अवैध निर्माण कराने पर केस के लिए दी तहरीर

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को दो जगहों पर 9 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई। इसके साथ ही चार अवैध निर्माण सील किए। सूर्याश हॉस्पिटल का सील तोड़कर अवैध निर्माण कराने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई।

सारनाथ वार्ड के बराई में मनोरंजन पांडेय की ओर से 3 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। रामनगर में अलीनगर गोइठहां में अज्ञात की ओर से 6 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।

अपर सचिव गुडाकेश शर्मा की मौजूदगी में सिकरौल वार्ड में सचिन सिंह की ओर से सूर्याश हॉस्पिटल का सील तोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे दोबारा सील कर एफआईआर के लिए थाने में तहरीर दी गई। चेतगंज हबीबपुरा में अनमोल सेठ ने स्वीकृत चार तल के विपरीत पांचवें तल का अवैध निर्माण कराया। इसे सील कर दिया गया है। नगवां वार्ड के गंगोत्री विहार कालोनी लेन नंबर दो दिव्या गंगा बॉयज हॉस्टल के पास मीनू राय की ओर से 5 बिस्वा में अस्थायी निर्माण किया जा रहा था। रिंग रोड के समीप फरीदपुर में सुनील चौबे के अवैध निर्माण को सील किया गया। ब्यूरो

रोपवे निर्माण में बाधक बन रहे भवन को वीडीए ने तोड़ा

वाराणसी। रोपवे निर्माण के चलते रथयात्रा से गुरुबाग मार्ग के एक भवन को आपसी सहमति से वीडीए ने ध्वस्त कराया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार यहां पर सड़क का विस्तार होना है। इसके लिए भवन स्वामी ने स्वेच्छा से जमीन दी थी। दरअसल यहां पर रोपवे चालू होने के बाद काफी भीड़ होगी। इसे ध्यान में रखकर यातायात में बाधक बन रहे भवन स्वामी से बातचीत की गई। वह जनहित को ध्यान में रखकर सहर्ष तैयार हो गए। इस आधार पर बाधक वाले भवन को तोड़ा गया। संवेदनशील और व्यस्त इलाके में ध्वस्तीकरण के दौरान यातायात व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद रही। ब्यूरो

हिन्दुस्तान –दि0 26.07.2024

पांच अवैध निर्माण सील कराए

09 बीघा में बिना नक्शा स्वीकृति के हुई प्लाटिंग ध्वस्त की गई
03 भवन स्वामियों को मिला था एक राजनेता का संरक्षण

कार्रवाई

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को सोनारपुरा में गुरुकृपा सोसायटी में भवन समेत पांच अवैध निर्माण सील किया। अलग-अलग क्षेत्रों में नौ बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। सिकरौल में एक निजी अस्पताल के खिलाफ वीडीए ने तहरीर भी दी है।

बुधवार देर शाम पहुंची वीडीए की टीम ने गुरुकृपा सोसायटी में बिना नक्शा पास कराए दो मंजिला भवन को सील किया। तीन भवन स्वामियों ने सारे नियम ताक पर रखकर निर्माण कराया था। पिछले माह वीडीए ने नोटिस जारी करते हुए कोई निर्माण न कराने का निर्देश दिया था। लेकिन एक राजनेता के संरक्षण में तीनों भवन स्वामियों ने निर्माण जारी रखा।

वहीं, सीलिंग के बाद भी निर्माण कराने वाले सिकरौल वार्ड में एक निजी अस्पताल को दोबारा सील कराया गया। वीडीए प्रशासन ने निजी अस्पताल के खिलाफ तहरीर दी है। चेतगंज वार्ड के हबीबपुरा में चार मंजिला स्वीकृत नक्शा के विपरीत भवन की पांचवीं मंजिल पर सील तोड़कर निर्माण करने पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति, जेई अशोक कुमार स्वामी मौजूद रहे।

अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, जेई आलोक सिंह ने नगवां वार्ड के अन्तर्गत गंगोत्री विहार के लेन नंबर दो में पांच बिस्वा में स्टील स्ट्रक्चर पर अस्थायी निर्माण सील कराया। सारनाथ वार्ड के बराई क्षेत्र में तीन बीघा और रामनगर वार्ड के गोइठहां गांव में छह बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। वहीं रिंग रोड के किनारे फरीदपुर में अवैध निर्माण को सील किया गया।

- सोनारपुरा स्थित गुरुकृपा सोसाइटी में बुधवार देर शाम कार्रवाई
- सिकरौल में एक निजी अस्पताल के खिलाफ दी गई तहरीर

वीडीए ने धवस्त किया मकान

रथयात्रा चौराहा के पास गुरुवार को पुराना मकान तोड़ती जेसीबी। • हिन्दुस्तान

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने गुरुवार को रथयात्रा चौराहे के पास एक मकान ध्वस्त कराया। रोप-वे स्टेशन के आवागमन स्थान के लिए भवन स्वामी से सहमति के आधार पर जर्जर मकान ध्वस्त किया गया। इस दौरान ट्रैफिक भी डायवर्ट की गई था। सुबह सात बजे से करीब चार घंटे तक कार्रवाई चली। रथयात्रा से गुरुबाग के बीच सड़क के दोनों तरफ करीब 25 मकान दुकान हटनी है। मास्टर प्लान 2031 के तहत इस सड़क चौड़ीकरण होना है। वीडीए ने कुछ भवन स्वामियों से इस संबंध में बातचीत की है। जल्द ही दूसरे भवन भी ध्वस्त होंगे। रथयात्रा से गिरजाघर तक रोप-वे के आवागमन के दौरान निर्धारित मानकों के पालन के लिए सड़कों की चौड़ाई भी तय कर दी गई है।

आज–दि0 26.07.2024

सील तोड़ने पर सूर्यांश अस्पताल के संचालक पर एफआईआर दर्ज

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं की टीम सिकरौल स्थित सचिन सिंह के सूर्यांश हास्पिटल के विरुद्ध कारवाई की। बताया जाता है कि भवन स्वामी ने इसके पहले किये गये सील को तोड़कर बिना समन

मानचित्र स्वीकृत किये हास्पिटल का निर्माण कर रहा था। क्षेत्रीय अवर अभियंता मौके पर पहुंचे और भवन स्वामी से मानचित्र मांगे जिसको उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शिकायत के आधार पर हास्पिटल के मालिक के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज किया गया और भवन को पुनः सील करने के बाद थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कारवाई में सिंह गौरव जय प्रकाश, सहायक अभियंता अम्बरीश शर्मा मौजूद थे। इसी प्रकार दूसरे ब्वायज हास्टल पर विप्रा के अभियंता मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार नगवां के एक भवन स्वामी ने पांच बिस्सा स्टिल स्ट्रक्चर पर स्थायी निर्माण करा लिया था। जिसे बंद कराने के लिये विप्रा अभियंताओं ने कारवाई प्रस्तावित की। मौके पर अभियंताओं ने भवन को सील कर दिया। कारवाई में प्रमोद तिवारी, जोनल अधिकारी, अवर अभियंता आर.के.सिंह मौजूद थे।

आज–दि0 26.07.2024

नौ बीघा जमीन पर चली जेसीबी, एक भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-२ में तीन बीघा अवैध प्लाटिंग में ध्वस्तीकरण की कारवाई की गयी। इसी तरह मौजा-बराई वार्ड-सारनाथ में किये गये प्लाटिंग पर अवर अभियंता मौके पर पहुंचे शिकायत की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को अभियंताओं की देखरेख में सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल निकटतम थाने की पुलिस की मदद से जेसीबी के माध्यम से कराये गये सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार मौजा-फरीदपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एक व्यक्ति निर्माण कार्य कर रहा था। मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने पुलिस की सहायता से भवन को सील कर दिया। इसी तरह वार्ड रामनगर जिला चंदौली मौजा-गौरइया में बिना ले आऊट स्वीकृति के छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग करायी जा रही थी। मौके पर पहुंचे जोनल प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दुबे, सुपरवाइजर, संबंधित थाने की पुलिस और प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.07.2024

विकास प्राधिकरण वाराणसी की प्रवर्तन टीम द्वारा 03 बीघा अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ,मौजा-बराई के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये मनोरंजन पाण्डेय द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 25/07/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया उपरोक्त क्रम में वार्ड – सारनाथ,मौजा - फरीदपुर (निकट रिंग रोड) के अंतर्गत सुनील चौबे पुत्र ओम प्रकाश चौबे द्वारा लगभग 17%-0 × 55-0 में किए जा रहे अवैध निर्माण को आज दिनांक 25-07-2024 को सील किया गया । मौके पर, जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जे0 पी0 गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। इसी तरह वार्ड-रामनगर, थाना-अलीनगर, जिला-चन्दौली, मौजा-गौरइयां के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 06 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 25/07/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया । मौके पर, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार , अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 26.07.2024

रथयात्रा में मकान में भीषण आग लगी

अफरा-तफरी मची

दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। रथयात्रा क्षेत्र स्थित भगवान दास नगर कॉलोनी स्थित एक मकान में भीषण आग लग गयी। जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर निकल गये। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर लगी थी। घटना को लेकर शॉट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। परिवार के लोगों ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। घर में 5 सदस्य रहते थे। सीएफओ आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए आग पर काबू पाने के लिए दमकल के कर्मचारी जुट गये। बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर टीन शेड में कबाड़ का सामान रखा हुआ था। उसी में आग लगी हुई थी, उस पर काबू पा लिया गया था। प्रथम दृष्टया आग बुझाने का काम किया गया है। घटना की शुक्रवार को जांच होगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–26.07.2024

सूर्यांश हॉस्पिटल समेत तीन स्थानों को वीडीए ने किया सील

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने अपर सचिव गुडाकेश शर्मा की उपस्थिति में बृहस्पतिवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। सिकरौल वार्ड के अंतर्गत सचिन सिंह द्वारा सूर्यांश हॉस्पिटल पर सील तोड़कर किए जा रहे अवैध निर्माण को पुनः सील कर संबंधित थाने को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। इस कार्रवाई से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने तीन बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की। सारनाथ वार्ड के मौजा-बराई के अंतर्गत बिना ले-आउट पास कराये मनोरंजन पाण्डेय द्वारा लगभग तीन बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से

अस्पताल की तरफ से सील को तोड़कर किया जा रहा था निर्माण

मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में दी तहरीर

कई स्थानों पर वीडीए ने की प्लाटिंग व निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

ध्वस्त किया गया। इसी क्रम में वार्ड सारनाथ के मौजा फरीदपुर के अंतर्गत सुनील चौबे पुत्र ओम प्रकाश चौबे की तरफ से किये गये अवैध निर्माण को सील किया गया। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने रामनगर, थाना-अलीनगर, जिला-चंदौली, मौजा-गौरइयां के अंतर्गत बिना ले-आउट पास कराये लगभग छह बीघा पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया।

वीडीए की प्रवर्तन टीम ने नगवां वार्ड के अंतर्गत मीनू राय पत्नी हरिकांत राय द्वारा गंगोत्री विहार लेन नंबर दो, दिव्या गंगा ब्वॉयज हॉस्टल के पास लगभग पांच विश्वा में स्टील स्ट्रक्चर पर अस्थाई निर्माण किया जा रहा था जिसे बंद करते हुए सील की कार्रवाई की गई एवं पक्ष के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

सड़क पर किये गये अवैध निर्माण को ढहाया

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर बृहस्पतिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण के दशाश्वमेध वार्ड की प्रवर्तन टीम ने सड़क में हुए अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। दशाश्वमेध वार्ड के थाना-लक्सा अंतर्गत रथयात्रा से गुरुबाग मार्ग पर आपसी सहमति से सड़क विस्तार की भूमि में निर्मित भवन को प्रातः 07.00 बजे मौके पर ध्वस्त किया गया। स्थल संवेदनशील एवं व्यस्ततम मार्ग होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराते समय मौके पर यातायात व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस बल की मौजूदगी रही। उपरोक्त के क्रम में वार्ड-चेतगंज, मौजा-हबीबपुरा,थाना-सिगरा में अनमोल सेठ पुत्र स्व. दीपक सेठ एवं नीता सेठ पत्नी स्व. दीपक सेठ द्वारा आराजी संख्या-65 पर स्वीकृत स्टिल्ट +4 तलों के विपरीत स्टिल्ट +5 तलों का निर्माण कर लिये जाने के कारण स्थल को सील बंद कर थाना सिगरा की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था लेकिन पक्ष द्वारा सील तोड़कर चोरी-छिपे स्थल पर निर्माण कराये

कोई विवाद न हो इसके लिए एहतियातन पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई थी

एक अवैध निर्माण को सील कर सिगरा पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा

जाने के कारण स्थल को प्रवर्तन दल के साथ पुनः सील बंद कर थानाध्यक्ष, थाना-सिगरा की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी सौरव प्रजापति, अवर अभियंता अशोक कुमार त्यागी एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–26.07.2024

वाविप्रा की विभिन्न जोनों की टीमों ने की अवैध निर्माणों के विरूद्ध सीलबन्दी व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-नगवां के अन्तर्गत मीनू राय पतनी हरिकांत राय द्वारा गंगोत्री विहार लेन नंबर दो, दिव्या गंगा बॉयज हॉस्टल के पास लगभग पांच विश्वा में स्टील स्ट्रक्चर पर अस्थाई निर्माण किया जा रहा था जिसे बंद करते हुए सील की कार्रवाई की गई एवं पक्ष के विरुद्ध धारा 27 28 (1)28(2) की कार्रवाई प्रस्तावित की गई ।इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री आर0 के0 सिंह उपस्थित रहे।इसी क्रम में वाविप्रा वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अपर सचिव गुडाकेश शर्मा की उपस्अथिति में अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।जिसके तहत वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत सचिन सिंह द्वारा सूर्यांश हॉस्पिटल पर सील तोड़कर किए जा रहे अवैध निर्माण को पुनः सील कर संबंधित थाने को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु तहरीर भी प्रेषित कर दी गई है।।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश सहायक अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा उपस्थित रहे।इसके अलावा वार्ड - सारनाथ,मौजा - फरीदपुर (निकट रिंग रोड) के अंतर्गत सुनील चौबे पुत्र ओम प्रकाश चौबे द्वारा लगभग 17'-0" 55-0' में किए जा रहे अवैध निर्माण को 25जुलाई को सील किया गया ।मौके पर, जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जे0 पी0 गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपरोक्त के क्रम में वार्ड-चेतगंज, मौजा-हबीबपुरा,थाना-सिगरा में अनमोल सेठ पुत्र स्व0 दीपक सेठ एवं नीता सेठ पतनी स्व0 दीपक सेठ द्वारा आराजी संख्या-65 पर स्वीकृत स्टिल्ट +4 तलों के विपरीत स्टिल्ट +5 तलों का निर्माण कर लिये जाने के कारण स्थल को सील बन्द कर थाना सिगरा की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था परन्तु पक्ष द्वारा सील तोड़कर चोरी-छिपे स्थल पर निर्माण कराये जाने के कारण स्थल को प्रवर्तन दल के साथ पुनः सील बन्द कर थानाध्यक्ष, थाना-सिगरा की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।मौके पर, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी श्री सौरव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार त्यागी एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।इस क्रम में वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-रामनगर, थाना-अलीनगर, जिला-चन्दौली, मौजा-गौरइयां के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात प्लॉटिंगकर्ता द्वारा लगभग 06 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 25 जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इस मौके पर, जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार , अवर अभियन्ता पी0एन0 दूबे एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।इसी क्रम में वावाविप्रा की जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-सारनाथ,मौजा-बराई के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये मनोरंजन पाण्डेय द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 25जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इसी कड़ी में वाविप्रा की जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-सारनाथ,मौजा-बराई के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये मनोरंजन पाण्डेय द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 25जुलाई को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इसी क्रम में जोन-3 वार्ड दशाश्वमेध की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-दशाश्वमेध, थाना-लक्सा के अन्तर्गत रथयात्रा से गुरूबाग मार्ग पर आपसी सहमति से सड़क विस्तार की भूमि में निर्मित भवन को 25 जुलाई को प्रातः 07.00 बजे मौके पर ध्वस्त किया गया। स्थल संवेदनशील एवं व्यस्थतम मार्ग होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराते समय मौके पर यातायात व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इस हेतु पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।